रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062023-246494
CG-DL-E-13062023-246494

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2477] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 13, 2023/ज्येष्ठ 23, 1945
No. 2477] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 13, 2023/JYAISHTHA 23, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2023

का.आ. 2590(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, का.आ. सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मिजोरम (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i)	श्री राजेश कुमार सिंह, मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, मिजोरम सरकार	अध्यक्ष;
(ii)	प्रो. लालनुनतलुअंगा, पर्यावरण विज्ञान विभाग, मिजोरम विश्वविद्यालय, तनहरिल, मिजोरम-781039	सदस्य;
(iii)	मुख्य वन संरक्षक (योजना और विकास), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, मिजोरम सरकार	सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. प्राधिकरण, अपने विनिश्चय पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों के आधार पर करेगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए मिजोरम सरकार के परामर्श से राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

(i)	श्री राम शंकर सिन्हा, अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, मिजोरम सरकार,	-अध्यक्ष;
(ii)	प्रो. जॉन जोथानजामा, बायोटैक्नोलॉजी विभाग, मिजोरम विश्वविद्यालय, तनहरिल, मिजोरम	सदस्य;
(iii)	डा. सेतलुआंगा, जियोलॉजी विभाग, पचुंगा विश्वविद्यलय कॉलेज, आइजोल, मिजोरम	सदस्य;
(iv)	श्रीमती पीसी. लालमुअंपुई , सहायक पर्यावरण इंजीनियर, मिजोरम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मिजोरम	सदस्य;
(v)	वन संरक्षक (सेंट्रल सर्कल), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, मिजोरम सरकार,	सदस्य;

6. समिति के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. हितों के टकराव से बचने के लिए-

(i) प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्य-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से जुड़े हैं;

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए कोई परामर्श या सहयोग नहीं लेंगे, जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित और समिति द्वारा मूल्यांकित की जानी है; तथा

(ii) यदि पिछले पांच वर्षों में, अध्यक्ष या प्राधिकरण और समिति के किसी भी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन आयोजित किया है, तो उस स्थिति में वे स्वयं को ऐसे समर्थकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण और समिति की बैठक बचाव करेंगे।

8. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

10. मिजोरम राज्य सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

11. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता मिजोरम राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं.-आईए3-13/4/2022-आई.ए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2023

S.O. 2590(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government, hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority for Mizoram (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following persons, namely: -

(i)	Shri Rajesh Kumar Singh, Principal Chief Conservator of Forests and Head of Forest Force, Environment, Forests and Climate Change Department, Government of Mizoram.	-	Chairman;
(ii)	Prof. Lalnuntluanga, Department of Environmental Science, Mizoram University, Tanhril, Mizoram-781039.	-	Member;
(iii)	Chief Conservator of Forests (Planning and Development), Environment, Forests and Climate Change Department, Government of Mizoram.	-	Member-Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the state of Mizoram.

5. For the purpose of assisting the Authority, the Central Government, in consultation with the state Government of Mizoram, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the Committee), Mizoram comprising of the following persons, namely: -

(i)	Shri Ram Shankar Sinha, Additional Principal Chief Conservator of Forests, Environment, Forests and Climate Change Department, Government of Mizoram.	-Chairman;
(ii)	Prof. John Zothanzama, Department of Biotechnology, Mizoram University, Tanhril, Mizoram.	- Member;
(iii)	Dr. Saitluanga, Department of Geology, Pachhunga University College, Aizawl, Mizoram.	- Member;

(iv)	Smt. PC. Lalmuanpuii, Asst. Env. Engineer Mizoram Pollution Control Board, Mizoram.	- Member;
(v)	Conservator of Forests (Central Circle), Environment, Forests and Climate Change Department, Government of Mizoram.	- Member.

6. The Chairman and Members of the Committee, Mizoram shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. In order to avoid any conflict of interest, -

(i) the Chairman and Members of the Authority, and the Committee shall,-

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority, or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) if in the preceding five years, the Chairman or any Member of the Authority or the Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that situation they shall recuse themselves from the meetings of the Authority and the Committee from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach consensus in each case, and if they fail to reach consensus the view of the majority shall prevail.

10. The Government of Mizoram shall specify an agency to act as Secretariat of the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under EIA notification.

11. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, and the Chairman and Members of the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the Government of Mizoram.

[F. No. IA3-13/4/2022-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2023.06.13 21:40:27 +05'30'